बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू

मुख्यमंत्री बोले, योजना को बिचौलियों से बचाएं

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना को बिचौलियों से बचाना होगा। योजना की सफलता के लिए जरूरी है, इसे ईमानदारी से चलाया जाए, ताकि वास्तविक गरीबों को लाभ मिले। श्री मांझी सोमवार को संवाद में आयोजित समारोह में राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लांचिंग कर रहे थे। कहा कि इस बार लाभुकों का हेल्थ कार्ड 'ठोक ठठा' के बनना चाहिए। ताकि पहले की तरह शिकायतें नहीं आएं। लक्ष्य पूरा करने पर मंत्री व विभाग को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना की सफलता पर सरकार इलाज की सीमा 30 हजार से अधिक करने पर विचार कर सकती है। हेल्थ कार्ड बनाने में विकास मित्र, टोला सेवकों का सहयोग लिया जाना चाहिए। बीते वर्षों में कार्ड बनाने और इलाज के नाम पर हुई गड़बड़ियों की चर्चा करते हुए कहा कि पिछली बार भी इस योजना पर सरकार के करोड़ों खर्च हुए। कुछ लोग बन गए। अस्पतालों से अधिक एजेंसी में भीड़ रहती थी। वास्तविक से अधिक खर्च दिखा कर पैसे निकाल लिए जाते थे। वे लोगों की नैतिकता को झकझोरने के लिए इस बारे में बता रहे हैं। कहा कि मजदरों को हर हाल में न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। बतौर कल्याण मंत्री अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि कैसे कुछ बड़ी कंपनियों ने पेटी कांट्रेक्ट में काम देकर श्रमिकों के हजारों डकार लिए। संचालन राज्य श्रम कल्याण समिति के सलाहकार आरके चौधरी ने किया। निदेशक कामेश्वर शुक्ला ने पावर प्रजेंटेशन दिया। धन्यवाद ज्ञापन अजय चौधरी ने किया।

होगा लाभ

- राज्य के 30 जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लांच की गई
- पहली फरवरी से बनेगा स्मार्ट हेल्थ कार्ड, मार्च से शुरू होगा इलाज

पिछली बार योजना की उपलब्धि निराशाजनक थी। एक करोड़ 84 लाख, 38 हजार 343 हेल्थ कार्ड बने थे पर मात्र 6 .55 लाख का ही इलाज हो पाया था। इस बार सावधानी बरती जाएगी। पहली फरवरी से हेल्थ कार्ड बनना शुरू हो जाएगा पर इलाज मार्च माह से होगा।
-दुलाल चन्द्र गोस्वामी, श्रम संसाधन मंत्री

फसल बीमा के लिए अब एक सरकारी कंपनी

- किसानों को अब देना पड़ेगा नाममात्र का प्रीमियम
- फसल की क्षति का आकलन भी नई पद्धति से होगा

पटना। राज्य में फसल बीमा के लिए अब सिर्फ एक सरकारी कंपनी अधिकृत की गई है। इस काम में लगी नौ निजी कंपनियों को राज्य सरकार ने सूची से बाहर कर दिया है। इससे चालू रबी फसल के उत्पादकों को कई परेशानियों से निजात मिल जाएगी। पिछले वर्ष तक फसल बीमा के क्षेत्र में निजी कंपनियों का वर्चस्व था। किसानों को जहां ज्यादा प्रीमियम देना होता था, वहीं फसल क्षति के आकलन की पद्धति को लेकर भी विवाद था। क्लेम के भुगतान में भी ये कंपनियां काफी विलंब व आनाकानी करती थीं। किसानों की परेशानी को देख सरकार ने बीमा योजना का कार्यान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया को दिया।

क्या थी दिक्कत/अब क्या होगा : निजी कंपनियां मौसम आधारित बीमा करती थीं। इसमें वर्षा की निर्धारित मात्रा के अनुरूप उपज का आकलन किया जाता है। पर सभी जिलों में वर्षा मापने का संयंत्र नहीं होने से फसल क्षति का वास्तविक आकलन नहीं हो पाता था। अब नई क्रॉप कटिंग पद्धति से फसल क्षति का जमीनी सत्यापन किया जाएगा। निजी कंपनियों का बीमा भुगतान का औसत प्राय: 24 प्रतिशत ही रहा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति बीमित किसान को करेगी। गेहूं के लिए 25 हजार प्रति हेक्टेयर की दर से बीमा किया जा सकेगा। प्रीमियम की राशि डेढ़% यानी 375 रुपए होगी। पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों का प्रीमियम 340 रुपए होगा।

ये कंपनियां सूची से बाहर : बजाज एलायंज, चोला मंडलम, टाटा एआईजी, फ्यूचर जेनरली, आईसीआईसी लोम्बार्ड, इफ्को टोकियो, एचडीएफसी इरगो, रिलांयस इंश्योरेंस व एसबीआई इंश्योरेंस।